

७८
॥

प्रेषक,

काशी नाथ,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-10, आगरा।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा :

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय,
आगरा।

विषय:-

पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 9792 / VIIb -104 / Admin D Section Dated 19.07.2024 के सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक सादर अवगत कराना है कि शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं० 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि उचित कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: 03.08.2024

भवदीय,

पत्रांक सं. 4059/xv दिनांक 03/8/24
अग्रसारित

जिला जज, आगरा
08.8.2024

Kashi Nath
(काशी नाथ) 03/8/24
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-10, आगरा।
J.O. No. UP06231

संलग्नक:-

शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024
दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं० 20/2024/सा-3-276/
दस-2024/301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024, के अनुक्रम में विकल्प पत्र।